अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2014

का.आ. 1599(अ), केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियमों के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति देने के पश्चात्, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

- उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,-
- () मद 1(ग) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"1(ग)	() नदी घाटी परियोजनाएं i() सिंचाई परियोजनाएं	() ≥ 50 मे.या. जल वियुत उत्पादन i() ≥ 10,000 है0 खेती योग्य प्रभावित क्षेत्र	जल विद्युत उत्पादन i() < 10,000 है0 >	साधारण शर्त लागू होगी टिप्पण :- एक से अधिक राज्य में आने वाली प्रर्वग 'ख' नदी घाटी परियोजनाओं का मूल्यांकन केन्द्रीय सरकार स्तर पर किया जाएगा ।";
-------	---	--	---	--

i() मद 1(घ) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"1(घ) तापीय संयंत्र	वियुत ≥ 500 मे.वा. (कोयला/लिग्नाइट/नेप्था और गैस आधारित) ; ≥ 50 मे.वा. (जैव द्रव्यमान के सिवाय सभी अन्य ईधन) ।	मे.वा. (क्षेयला/लिग्नाइट/नेप्था और गैस आधारित) < 50 मे.वा. और ≥ 5 मे.वा.(जैव द्रव्यमान और गैरपरिसंकटमय नगरपालिक	टिप्पण :- () जैव द्रव्यमान या गैरपरिसंकटमय नगरपालिक ठोस अपशिष्ट जिसमें कोयला, लिग्नाइट/पेट्रोलियम
	≥ 20 मे.वा. (जिसमें गैरपरिसंकटमय नगरपालिक ठोस अपशिष्ट का ईंधन के रूप में उपयोग होता है)।	नगरपालिक ठोस अपशिष्ट का ईंधन के रूप में उपयोग	उत्पाद पेट्रोलियम उत्पाद जैसे सहायक ईंधन का उपयोग होता है, पर अधारित 15 में.वा. तक के तापीय वियुत संयंत्रों को छूट प्राप्त है । i() किसी सहायक ईंधन के बगैर अपशिष्ट ताप बायलरों का उपयोग करने वाले तापीय वियुत संयंत्र छूट प्राप्त हैं ।";

(iii) मद 2(ख) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"2(ख)	खनिज सज्जीकरण	The state of the s	> 0.5 मिलियन टी पी ए का उत्पादन	साधारण शर्त लागू होगी (अनापत्ति प्रदान करने के लिए खनन प्रस्ताव का खनिज सज्जीकरण के साथ मूल्यांकन किया जाएगा) ।";
-------	---------------	--	------------------------------------	---

(iv) मद 4(ख) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"4(ख)	(i) कोक भट्टी संयंत्र		< 2,50,000 और > 2,50,000टन/प्रतिवर्ष	साधारण शर्त लागू होगी ।";
	(ii) कोलतार प्रसंस्करण		200 2000	
	इकाईयां	-	सभी परियोजनाएं	

(v) मद 4(घ) के स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"उत्पादन क्षमता ≥ 300 यदि कोई इकाई अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा के बाहर अवस्थित है ।";

(vi) मद 4(च) के स्तंभ (2) में, की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"त्वचा/खाल प्रसंस्करण जिसके अंतर्गत चर्म शोधन उद्योग भी है ।";

(vii) मद 5(क) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"5(ক)	रासायनिक उर्वरक	के सिवाय सभी परियोजनाएं जिसके अंतर्गत H ₂ SO ₄ उत्पादन के साथ सभी एकल सुपर फोसफेट	सुपर फॉसफेट पाउडर के
		परियोजनाएं भी हैं ।	

(viii) मद 5(ड़) में :-

(क) स्तंभ (2) में की प्रविष्टी के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

"पैट्रोलियम उत्पाद और पैट्रो रसायन आधारित कार्बन ब्लैक तथा इलेक्ट्रोड ग्रेड ग्रेफाइट के उत्पादन का प्रसंस्करण (भंजन से भिन्न अन्य प्रसंस्करण तथा सुधार और जो परिसरों के भीतर समाविष्ट नहीं है)।";

(ख) स्तंभ (5) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

"साधारण और विर्निदिष्ट शर्त लागू होगी । टिप्पण—बहुलक दानों से उत्पादों के विर्निमाण को छूट प्राप्त होगी ।";

(ix) मद 5(च) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

रस (रं म ⁹ ओ वि छो सी का औ	शिलष्ट कार्बनिक गयन उद्योग जक और रंजक ध्यक ; थोक प्रिक्ष और ओषधि निमितियों को इकर मध्यक ; शिलष्ट रवर मूल प्रिक्ष रसायन र अन्य संश्लिष्ट प्रिक्ष रसायन र अन्य संश्लिष्ट	स्तंभ (5) में यथापरिभाषित लघु इकाईयों के सिवाय अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा के बाहर अवस्थित।	(i) अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा के बाहर अवस्थित । (ii) स्तंभ (5) में यथापरिभाषित लघु इकाइयां ।	साधारण और विनिर्दिष्ट शर्त लागू होगी लघु इकाइयां : < 25m³/दिन जल खपत, < 25टीपीडी ईंधन खपत के साथ और जो परिसंकटमय रसायन का प्रबंधन, भंडारण और आयात नियम, 1989 के अनुसार एमएएच इकाइयों के प्रवर्ग में नहीं आती हैं।";
---	---	--	---	---

(x) मद 5(छ) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"5(জ)	आसवनी	(i) सभी शीरा आधारित आसवनी।	गैर शीरा आधारित आसवनी- < 60 कि.ली.दैनिक	साधारण होगी ।";	शर्त	लागू
		(ii) गैर शीरा आधारितआसवनी ≥ 60कि.ली.दैनिक				

(xi) मद 5(झ) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"5(됅)	-		विनिर्माण तथा अपशिष्ट	रंगार्ड के बगैर अपशिष्ट कागज
-------	---	--	-----------------------	------------------------------

II. अनुसूची के पश्चात्, साधारण शर्त से संबंधित टिप्पण में निम्नलिखित साधारण शर्त रखी जाएगी, अर्थात् :-

"साधारण शर्त (सा.श.):

प्रवर्ग 'ख' विनिर्दिष्ट किसी परियोजना या क्रियाकलाप का केन्द्रीय स्तर पर प्रवंग 'क' के रूप में मूल्यांकन किया जाएगा, यदि वह पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से : (i) वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के अधीन संरक्षित क्षेत्रों की ; (ii) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के अधीन गठित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर पहचान किए गए गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों की ; (iii) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन यथाअधिसूचित पारिस्थितकी संवेदनशील क्षेत्रों की और (iv) अंतर राज्यिक सीमाओं और अंतराष्ट्रीय सीमाओं से पांच किलोमीटर की सीमाओं के भीतर अवस्थित है :

परंतु 1(ग) में विनिर्दिष्ट नदी घाटी परियोजनाएं, मद 1(घ) में विनिर्दिष्ट तापीय वियुत संयंत्र, मद 7(ग) विनिर्दिष्ट औद्योगिक संपदा/पार्क/क्षेत्र/निर्यात प्रसंस्करण जोन, विशेष आर्थिक जोन, जैव प्रौदोगिकी पार्क, चमझ परिसर और मद 7(घ) में विनिर्दिष्ट समान्य परिसंकटमय अपशिष्ट उपचार, भंडारण और निपटान सुविधाओं का मूल्यांकन केन्द्रीय स्तर पर किया जाएगा यदि वह 10 किलोमीटर के भीतर अवस्थित है।

परंतु यह और कि उपरोक्त मद (i), मद (ii) और मद (iii) में वर्णित क्षेत्रों की, यथास्थिति, पांच किलोमीटर या दस किलोमीटर के भीतर कोई क्रियाकलाप न होने की दशा में अंतर राज्यिक सीमाओं की, यथास्थिति, पांच किलोमीटर या दस किलोमीटर की दूरी से संबंधित अपेक्षा को क्रमशः सामान्य सीमाओं वाले राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों की बीच करार द्वारा कम या पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सकता है।"

[फा. सं. जे- 11013/12/2013-आईए.II(1)(भाग)] अजय त्यागी, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् का.आ. 1737(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2007, का.आ. 3067(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009, का.आ. 695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011, का.आ. 2896 (अ), तारीख 13 दिसंबर, 2012, का.आ. 674(अ), तारीख 13 मार्च, 2013, का.आ. 2559(अ), तारीख 22 अगस्त, 2013, का.आ. 2731(अ), तारीख 9 सितंबर, 2013, का.आ. 562(अ), तारीख 26 फरवरी, 2014 और का.आ. 637(अ), तारीख 28 फरवरी, 2014 द्वारा संशोधित किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2014

S.O. 1599(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) and clause (v) of Sub-section (2) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986(29 of 1986) read with sub-rule(4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments to the notification of the Government of India, in the Ministry of Environment and Forests number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006 after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rule, in public interest, namely:-

I. In the said notification, in the Schedule,-

(i) for item 1(c) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:-

"1(c)	(i) River Valley projects	(i) ≥ 50 MW hydroelectric power generation;	(i)≤50 MW ≥ 25 hydroelectric power generation;	General condition shall apply. Note:- Category 'B' river valley projects falling in more than one state shall be appraised at the central
	(ii) Irrigation projects	(ii) ≥ 10,000 ha. of culturable command area.	(ii) < 10,000 ha. > 2000 ha. of culturable command area.	Government Level";

(ii) for item 1(d) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:-

"1(d)	Thermal Power Plants	≥ 500 MW (coal/lignite/naphta and gas based);	≥ 50MW to <500 MW (coal/lignite/ naphta and gas based);	General condition shall apply Note:-
		≥ 50 MW (all other fuels except biomass).	< 50 MW and ≥5MW (all other fuels except biomass and municipal solid non hazardous waste).	(i) Thermal Power plants up to 15 MW based on biomass or non hazardous municipal solid waste using auxiliary fuel such as coal, lignite/
		≥ 20MW (using municipal solid non hazardous waste, as fuel).	< 20MW >15MW (using municipal solid non hazardous waste, as fuel).	petroleum products upto 15% are exempt. (ii)Thermal power plants using waste heat boilers
			≥ 15 MW plants based on biomass fuel.	without any auxiliary fuel are exempt.";

(iii) for item 2(b) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:-

"2 (b)	Mineral beneficiation	≥ 0.5 million TPA throughput	< 0.5 million TPA throughput	General condition shall apply (Mining proposal with mineral beneficiation shall be appraised together for grant of
				clearance).";

(iv) for Item 4(b) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:-

		≥25,000 tonnes/annum	apply.";
Coaltar processing	0.70	All projects	
		Coaltar processing	Coaltar processing All projects

(v) in item 4(d), in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"≥300 TPD production capacity if a unit located outside the notified industrial area/ estate.";

(vi) in item 4(f), in column (2), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"Skin/hide processing including tanning industry.";

(vii) for item 5(a) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:-

"5(a)	Chemical	All projects	[사용자] [[[[[[[[[[[[[[[[[[[
	fertilizers	with H ₂ SO ₄	II ₂ SO ₄ production Granulation of single super

(viii) in item 5(e):-

(a) in column (2), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-

(b) in column (5), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-

Note- Manufacturing of products from polymer granules is exempt.";

(ix) for item 5(f) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:-

"5(f)	chemicals industry (dyes and dye	notified industrial area/	notified industrial area/ estate. (ii) Small units as	General as well as specific condition shall apply. Small units: with water consumption <25m³/day, fuel consumption <25TPD and not covered in the category of MAH units as per the Management, Storage and Import of Hazardous Chemical Rules, 1989.";
-------	-------------------------------------	---------------------------	---	--

[&]quot;Petroleum products and petrochemical based processing such as production of carbon black and electrode grade graphite (processes other than cracking and reformation and not covered under the complexes).";

[&]quot;General as well as specific condition shall apply.

(x) for item 5(g) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:-

"5(g) Distilleries	distilleries	Non-molasses distilleries – <60 KLD	1.0000000000000000000000000000000000000	General apply.";	condition	shall
--------------------	--------------	---	---	---------------------	-----------	-------

(xi) for item 5(i) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:-

manufacturing	Pulp manufacturing from waste paper and paper manufacturing from waste paper pulp and other ready pulp. Pulp manufacturing General condition shall apply Note: Paper manufacturing from waste paper pulp and ready pulp without deinking, bleaching and colouring is exempt.":
---------------	---

II. After the Schedule, in the Note relating to General Condition(GC), the following General Condition shall be substituted, namely:-General Condition(GC):

10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

Any project or activity specified in category 'B' will be appraised at the Central level as Category 'A', if located in whole or in part within 5 km. from the boundary of: (i) Protected areas notified under the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972); (ii) Critically polluted areas as identified by the Central Pollution Control Board constituted under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) from time to time; (iii) Eco-sensitive areas as notified under sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, and (iv) inter-State boundaries and international boundaries; provided that for River Valley Projects specified in item 1(c), Thermal Power Plants specified in item 1(d), Industrial estates/parks/complexes/areas, export processing zones (EPZs). Special Economic Zones (SEZs), biotech parks, leather complexes specified in item 7(c) and common hazardous waste treatment, storage and disposal facilities (TSDFs) specified in item 7(d), the appraisal shall be made at Central level even if located within 10km.

Provided further that the requirement regarding distance of 5 km or 10 km, as the case may be, of the inter-State boundaries can be reduced or completely done away with by an agreement between the respective States or the Union Territories sharing the common boundary in case the activity does not fall within 5km or 10 km, as the case may be of the areas mentioned at item (i), (ii) and (iii) above."

[F. No. J-11013/12/2013-IA-II (1) (part)]

AJAY TYAGI, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and amended vide S.O. 1737(E) dated the 11th October, 2007, S.O. 3067(E) dated the 1st December, 2009, S.O. 695(E) dated the 4th April, 2011, S.O. 2896(E) dated the 13th December, 2012, S.O. 674(E) dated the 13th March, 2013, S.O. 2559(E) dated the 22nd August, 2013, S.O. 2731(E) dated the 9th September, 2013, S.O. 562(E) dated the 26th February, 2014 and S.O. 637(E) dated the 28th February, 2014.